न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3113–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 11–06–13 पारित अनुविभागीय अधिकारी, लवकुश नगर, जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 198/2012–13 अपील.

लाखनसिंह पुत्र फूलसिंह ठाकुर,
निवासी ग्राम सराई, तहसील चंदला,
जिला छतरपुर, म0प्र0

--- आवेदक

विरूध्द

रामाधीन पुत्र मिडवा अहिरवार,
निवासी ग्राम सराई, तहसील चंदला,
जिला छतरपुर, म0प्र0

-- अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक – आवेदक
श्री सुनील जैन, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 1-5- 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, लवकुश नगर, जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 198/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11–06–2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, बछौन तहसील चंदला के आदेश दिनांक 15–04–11 के विरूध्द अनावेदक रामाधीन व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 07–03–13 को प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब को माफ करने हेतु समयावधि विधान की धारा 5 का आवेदनपत्र शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील की ग्राह्यता पर तर्क सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 11–06–13 व्दारा अपील सुनवायी हेतु स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख मॅगाने एवं उत्तरवादी/आवेदक को तलब करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को दखल रहित अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 29–10–97 व्दारा बंटन किया गया है। इस आदेश का अमल राजस्व अभिलेख में नहीं होने से इसकी जानकारी होने पर आवेदक व्दारा आदेश का अमल किये जाने हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 15–04–11 व्दारा तहसील के पूर्व आदेश दिनांक 29–10–97 का अमल करने के आदेश दिये गये हैं। तहसील के अमल आदेश के विरूध्द अपील प्रचलन योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील दो वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गयी है जो समयावधि बाह्य है। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा विलम्ब को क्षमा किये बिना अपील को समय–सीमा में मान्य नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का यह तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय है और फर्जी एवं बनावटी बंटन आदेश दिनांक 29–10–97 के आधार पर नायब तहसीलदार ने 15–4–11 अर्थात 14 वर्ष बाद अमल करने के आदेश दिये हैं। तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर अनावेदक व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब को माफ करने के लिये समयावधि विधान की धारा 5 का आवेदनपत्र शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसका खण्डन आवेदक व्दारा नहीं किया गया, इस कारण जानकारी के दिनांक से अपील समयावधि में होने से अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील ग्राह्य कर अभिलेख मॅगाने एवं उत्तरवादी/आवेदक को आहूत करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की है। उनका यह भी तर्क है कि तहसील न्यायालय का आदेश अंतिम प्रकृति का है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 118/अ–6/2010–11 के अभिलेख देखने से स्पष्ट है कि आवेदक लाखनसिंह व्दारा रिकार्ड दुरूस्त करने हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार व्दारा दनामक 13–01–11 को प्रकरण दर्ज कर हल्का पटवारी से रिपोर्ट मॅगाने तथा इश्तहार जारी करने के आदेश दिये। नायब तहसीलदार व्दारा दिनांक 8–3–11 को मूल पट्टा पेश करने के आदेश दिये गये। पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 8 पर उपलब्ध है जिसमें प्रश्नाधीन भूमि म0प्र0शासन के नाम अंकित होना तथा मौके पर लाखनसिंह तनय फूलसिंह का कब्जा होना अंकित किया गया है। खसरा पंचसाला वर्ष 2010–11 की सत्य–प्रतिलिपि भी प्रस्तुत हुई है। खसरे में प्रश्नाधीन भूमियॉ म0प्र0शासन के नाम अंकित होकर बंजर दर्ज हैं। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 11 पर तथाकथित 'घोषणा का प्रारूप पट्टा' दिनांक

29–10–97 की फोटो प्रति उपलब्ध है जिसमें यह अंकित है कि 'एतद व्दारा यह घोषणा की जाती है कि लाखनसिंह आत्मज श्री फूलसिंह निवासी ग्राम सराई तहसील लौड़ी जिला छतरपुर म0प्र0 तत्वाधीन वर्णित दखल रहित भूमिस्वामी हो गया है और इसके नीचे अनुसूची अंकित कर प्रश्नाधीन भूमि का वर्णन अंकित किया गया है।' प्रश्नाधीन भूमि जब वर्ष 2010–11 में खसरे में बंजर अंकित है और खसरे में ना तो कृषि करने का उल्लेख है और ना ही किसी का कब्जा दर्शाया गया है, तब तथाकथित 29–10–97 के पट्टे की फोटो कॉपी के आधार पर शासकीय भूमि आवेदक के नाम नायब तहसीलदार व्दारा दर्ज करने के आदेश देना प्रथमदृष्टया विधि–संगत प्रतीत नहीं होता। नायब तहसीलदार व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व इश्तहार जारी करने के आदेश दिये हैं और तहसील का आदेश अंतिम प्रकृति का होने से ग्राम सराई के निवासी व्दारा आदेश की जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत करने से उसे अनुविभागीय अधिकारी व्दारा ग्राह्य करने में कोई विधिक या प्रकिया संबंधी त्रुटि नहीं की गयी है। आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि दखल रहित अधिनियम 1984 के अन्तर्गत पात्रता होने पर विधिवत व्यवस्थापित कर पट्टा प्रदत्त किया गया है तो यह तथ्य अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का आवेदक को पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप करने का समुचित आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 11–06–13 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0